

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 207/2024

दायर दिनांक :- 06.12.2024

अनवान

कलुडी देवी पत्नि रामचन्द्र धाणका नि. ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

प्रार्थी.....

बनाम

1. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
2. तहसीलदार फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,


:: निर्णय ::

दिनांक 11.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 06.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा रतनपुरा पटवार मण्डल तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1071 प्रार्थी के शामलाती खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ोसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पड़ता है। प्रार्थीगण वर्षों से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1078 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 1078 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 वावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 1071 में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जांच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 20.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला-भीलवाडा

फूलियाकला की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 1078 में से रास्ता देने पर 0.0468 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहरा सुनी गई। बहरा के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 1071 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहरा पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आगद-रफ्त हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकॉर्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

प्रार्थी अपने आ.न. 1071 में आने जाने हेतु ख. नं. 1078 में से रास्ता चाहते हैं। तहसीलदार फूलियाकला की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1078 राजकीय भूमि है। वर्तमान में उक्त राजकीय भूमि में होकर आमजन आ जा सकता है। प्रार्थी भी अपने खेत तक आने जाने में इस सरकारी जमीन का उपयोग कर सकता है। अतः प्रार्थी की या खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता साबित नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित नहीं होने से स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओमप्रकाश) कारी
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकला, भीलवाड़ा
फूलियाकलां (भीलवाड़ा)